भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 688
22.07.2026 को उत्तर देने के लिए

ऊर्जा सांख्यिकी भारत

688. श्री दामोदर अग्रवालः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री विष्णु दयाल रामः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री राहुल सिंह लोधीः
श्री देवुसिंह चौहानः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 'ऊर्जा सांख्यिकी भारत' प्रकाशन के दायरे को बढ़ाने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा इसके 33वें संस्करण में शामिल की गई नई डेटा श्रेणियां कौन-कौन सी हैं;
(ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए दर्ज की गई कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (टीपीईएस) और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इस प्रकाशन के निष्कर्षों का उपयोग नीति निर्धारण और बुनियादी ढांचा (अवसंरचना) योजना के लिए किया जाए?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)
(क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने ऊर्जा सांख्यिकी 2026' के 33वें संस्करण में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:

i. 'ऊर्जा क्षेत्र को ऋण प्रवाह', 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य' और 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और विमानन बंकर संबंधी' सांख्यिकी का समावेशन;
ii. सभी ऊर्जा वस्तुओं के अंतिम-उपयोग उपभोगता क्षेत्रों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरेखण;
iii. कोयला और विद्युत के उद्योग-वार उपभोग पर आँकड़ों की कमी का निराकरण।

(ख) वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (टीपीईएस) का अनुमान 39,055 पेटाजूल लगाया गया, जबकि वर्ष 2023-24 में यह 37,936 पेटाजूल था। 31 मार्च 2025 पर कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का संभावित अनुमान 4,704,043 मेगावाट था, जबकि 31 मार्च 2024 पर यह 2,109,655 मेगावाट था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) नीति-निर्माण और अवसंरचना नियोजन के उद्देश्य से यह प्रकाशन "ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026" उपयोगकर्ताओं और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सभी मंत्रालयों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया जाता है। यह प्रकाशन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी साझा किया जाता है, ताकि वे आवश्यकतानुसार उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप कर सकें। यह प्रकाशन अन्य उपयोगकर्ताओं और हितधारकों द्वारा अनुसंधान और विश्लेषण के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध है।
